International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 29-05-2023, Accepted: 15-06-2023, Published: 30-06-2023
Volume 9, Issue 3, 2023, Page No. 81-84

महिला नेतृत्व विकास में पंचायती राज की भूमिका

डॉ. अखिलेश त्रिपाठी[1], मुकेश चौधरी[2]

[1] सहायक आचार्य, राजनीतिक विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण पी.जी कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण पी.जी कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व विकास वर्तमान समय में एक बेहद जरूरी विमर्श है, क्योंकि यह संपूर्ण समाज के आधे हिस्से के बेहतरी से जुड़ा विमर्श है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत वह सशक्त बनाने तथा महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की विकेंद्रीकृत प्रणाली की शुरुआत हुई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जमीनी स्तर पर काफी बदलाव हुए हैं। महिलाएं अपनी राजनीतिक सहभागिता को लेकर जागरूक हुई हैं जो उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। वर्तमान समय में व्यापक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता बड़ी है, जिस कारण उनकी सामुदायिक जीवन तथा संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायती राज संस्थाओं से ही महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता व सशक्तिकरण को एक नई दिशा प्रदान हुई है। वर्तमान समय में उन्हें विधानसभा तथा संसद में भी आरक्षण देने की मांग चल रही है। इस शोधपत्र में पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व विकास की स्थिति का अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया है।

मूल शब्द: महिला, महिला राजनीति, समाज, प्रतिनिधित्व, भागीदारी, राजनीतिक दल, संविधान, समानता, अधिकार, न्याय, स्थानीय स्वशासन, आरक्षण, महिला नेतृत्व, शिक्षा।

शोध की अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व व सहभागिता के लिए उत्तरोत्तर हुए विभिन्न आयामों का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा, उनकी स्थिति, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति के आधार पर अध्ययन किया गया है।

शोध के क्षेत्र व उद्देश्य के अनुसार ऐतिहासिक, तुलनात्मक, पर्यवेक्षण व सांख्यिकी इत्यादि पद्धतियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है।

प्रस्तावना

यदि हम अपने अतीत पर नजर डालें तो प्राचीन काल में महिलाओं को वाद–विवाद तथा राजनीति में भाग लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता थी। परन्तु यह बाद के कालो में खत्म हो गई। मध्यकाल तथा अंग्रेजों के समय यह और भी दयनीय रही। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पुरुषों के समान भाग लिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब संविधान सभा में डॉ आंबेडकर व अन्य सदस्यों ने महिला मताधिकार का समर्थन किया, लेकिन महिलाओं को संसद व अन्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया। संविधान निर्मात्री सभा में मात्र 15 महिला सदस्य थी।

बलवंत राय मेहता तथा अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश तो की लेकिन महिला आरक्षण व महिला नेतृत्व के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, दो महिला सदस्यों को पंचायतों में नियुक्ति की सिफारिश की। महिला नेतृत्व व महिला सशक्तिकरण की दिशा में 73वां संविधान संशोधन एक मील का पत्थर साबित हुआ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई जो वर्तमान में कई राज्य में 50 प्रतिशत से है। पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से उत्तरोत्तर ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की सामाजिक राजनीति स्तर पर काफी सुधार हुआ है। इसके पूर्व निजी जीवन को महिलाओं तथा सार्वजनिक जीवन को पूर्व क्षेत्र माना जाता था। महिलाओं का कार्य केवल घरेलू कार्य करना माना जाता रहा है। परंतु वर्तमान समय में महिलाओं ने जिस स्तर पर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है वे पुरुषों के बराबर आ पहुंची हैं।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यापक भागीदारी वाली प्रक्रिया बने। जिन लोगों के लिए नीति निर्माण हो रहे हो, उनका उन् नीति निर्माण में व्यापक भागीदारी हो ताकि वे अपनी समस्याओं को ध्यान में रखकर नीति निर्माण करा सकें। ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बना रही हैं। देश के सत्ता विमर्श के ढांचे में बदलाव ला रही है। पंचायत स्तर पर इतनी व्यापक महिला भागीदारी ने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जीवन और उसकी चेतना तथा संस्कृत में भी परिवर्तन लाया है।

स्वतंत्रता पूर्व पंचायती राज व महिलाएं

भारत में महिलाएं सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न दौर से गुजरी है। लिंग भेद व जाति– व्यवस्था ने उन्हें समाज के साथ उचित संवाद स्थापित करने वह अपने आप को अभिव्यक्त करने के समुचित अवसर प्रदान नहीं किए। वैदिक काल में जरूर कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि ऋषि–मुनि भी अब स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करते थे। लड़कियों को अपनी इच्छा से वर चुनने का अधिकार था। लेकिन उसके बाद मनु के समय में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में ज्यादा गिरावट आई। उनके अधिकार छीन लिए गए, उनका कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया गया और केवल कर्तव्य उनके सिर मढ दिए गए। स्त्रियों की अपनी अलग पहचान नहीं रही, उन्हें पुरुषों के अधीन मान लिया गया। पुरुषों को उन्हें पीटने को प्रताड़ित करने का विधि सम्मत अधिकार मिल गया। प्राचीन काल में भारत में पंचायती थी, इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इनमें महिलाओं की भागीदारी भी थी इसके प्रमाण नहीं

मिलते हैं। प्राचीन काल में वही व्यक्ति पंचायतों में चुना जा सकता था, जिसके पास अपनी भूमि हो, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हो, कर देता हो, व्यवसाय करना जानता हो तथा यह भी कि उसने अपना धन इमानदारी से कमाया हो।

इस आधार पर महिलाएं चुनाव के योग्य हो ही नहीं पाती थी।ना तो उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। न ही कर देने योग्य भूमि थी, आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न होना तो बहुत दूर की बात थी। विभिन्न विद्वानों के द्वारा ज्ञात होता है कि ऐसा प्रावधान था कि महिलाएं ग्रामीण समितियों की सदस्य बन सकती थी, लेकिन ऐसा प्रावधान यदि था भी तो वह व्यवहार में नहीं था। समितियों को अनेक सार्वजनिक सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता था। स्त्रियों की जीवन शैली इस प्रकार की होती थी कि महिलाएं इन समितियों से संबद्ध नहीं हो पाती थी। मुगल काल में स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुए। उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि वे महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करें। मुगलकाल में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय थी। उन्हें घर की चारदीवारी तक ही सीमित कर दिया गया। बाद में ब्रिटिश काल में पंचायतों के उत्थान की दिशा में अनेक कदम उठाए गए। जैसे– 14 दिसंबर 1870 को सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्वायत्त शासन के गठन का प्रस्ताव, मई 1882 को लार्ड रिपन का स्वायत्त शासन के गठन का प्रस्ताव, 1907 में चार्ल्स हाब हाउस की अध्यक्षता में शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन। लेकिन इन प्रस्तावों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। राष्ट्रीय आंदोलन के समय महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व जितने भी सुधारवादी आंदोलन चलाए गए, उन सभी आंदोलनों में महिलाओं को सम्मान व उचित स्थान तथा बराबरी (स्त्री–पुरुष) के लिए चलाए गए।महिलाओं को स्थानीय स्वशासन, प्रांत व केंद्र स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। महात्मा गांधी ने पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन को महिलाओं की मुक्ति से जोड़ा। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेती तब तक इस देश को मुक्ति नहीं मिल सकती, देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। स्वतंत्रता आंदोलनों के समय पहली बार महिलाएं सार्वजनिक स्तर पर सक्रिय हुई। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि उन्हें वह क्षमता है जिसके द्वारा वे भी सार्वजनिक जीवन की गतिविधियों में पुरुषों के समान कार्य कर सकतीहैं। उन्होंने यह बताया कि भारत के पिछड़ेपन का एक कारण उनकी उपेक्षा रही है।

महिलाओं की भागीदारी के बारे में संविधान सभा का उल्लेख करना आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांव को अज्ञान, संकीर्णता व सांप्रदायिकता का अड्डा बताकर पंचायतों का विरोध किया था, पंचायतों को संविधान का अंग नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण अंततः पंचायतें संविधान का हिस्सा बनी। लेकिन फिर भी पंचायतों में महिलाओं के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई।

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व महिलाएं

15 अगस्त,1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को नया संविधान लागू हुआ। संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक सिद्धांतों अनुच्छेद 40 में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वह गांवों में पंचायतों की स्थापना करने तथा उन्हें ऐसी शक्तियां देने के लिए उचित कदम उठाए जो आवश्यक हो। संविधान में महिला पुरुष समानता का अधिकार अनुच्छेद 15(1) तथा निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38, 39(1) (2), अनुच्छेद 41,43,47 में महिलाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन फिर भी पंचायतों के विकास व उनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए गए। पंचायतों का गठन करने के बजाय केंद्र सरकार ने सामुदायिक योजना कार्यक्रम व राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम चलाएं। जिनमें तदर्थ समितियां होती थी, जिसके सदस्य मनोनीत होते थे, ये समितियां जरूर गठित हुई लेकिन इनमें नौकरशाही का बोलबाला था जिसके कारण तदर्थ समितियां जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकीं।

इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी (1957) गठित की। बलवंत राय मेहता समिति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिया कि पंचायतों के तीन स्तरों पर दो महिला सदस्यों को मनोनीत किया जाए। समिति ने सुझाव भी दिया कि जिन महिलाओं का चयन किया जाए उनकी रूचि महिला व बाल विकास कल्याण में हो।

महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी सुनिश्चित करने का यह पहला प्रयास था लेकिन इसमें भी कमी थी कि इन महिलाओं को निर्वाचित सदस्यों के रूप में नहीं लिया जाना था।

12 जनवरी, 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद विभिन्न राज्यों ने अपने पंचायती राज अधिनियम बनाएं और लगभग सभी राज्यों ने अपने अधिनियमों में महिलाओं की सदस्यता का प्रावधान किया। लेकिन इन योजनाओं द्वारा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा पुनः महिलाऐं स्थानीय स्वशासन में भागीदारी से वंचित हो गई।

1971 में 'भारत में महिलाओं की स्थिति' पर भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया। इसने 'समानता की ओर' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस समिति में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया कि, वैसे तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है लेकिन उनके राजनीतिक रूप से निरक्षर होने तथा महिला संगठनों और राजनीतिक पार्टियों की उदासीनता के कारण वे अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के संदर्भ में राजनीति पर कोई खास दबाव नहीं बना सकी।

बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के दो दशक बाद अशोक मेहता की अध्यक्षता में 1977 में पंचायती राज समिति का गठन हुआ। इस समिति ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिला परिषद व मंडल पंचायत स्तर पर चुनाव में अधिकतम मत प्राप्त करने वाली दो महिलाओं को सदस्य बनाने की सिफारिश भी की थी। इसके उपरांत डॉ लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही थी, परंतु पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया।

1986 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया जो 15 जनवरी 1987 को लागू हुआ। इस अधिनियम द्वारा अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाने की बात कही गई। इस प्रकार नया अधिनियम लागू होने के बाद 1987 के पंचायती चुनावों में महिला ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या पूरे देश में 44,127 थी, जो कुल सदस्यों की संख्या का 27% थी।

73 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 व महिलाएं

73वें संविधान संशोधन के साथ ही भारत ने शासन के संस्थागत ढांचे में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया, इस संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई जिसने स्थानीय स्वशासन को शक्ति प्रदान की।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास में 73वें संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इसे न केवल एक संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को भी मजबूती प्रदान की। इस संशोधन के द्वारा पंचायतों की राज्य सरकारों पर निर्भरता कम हुई, व स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस संशोधन द्वारा एक नया अध्याय

संविधान में जोड़ा गया, अध्याय 9 तथा अध्याय 9 में अनुच्छेद 243 से 243 (ण) तक पंचायतों का उल्लेख किया गया। एक नई अनुसूची 11 (ग्यारहवीं अनुसूची) जोड़ा गया। भारतीय संसद ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि 1 वर्ष के अन्दर कानून बनाकर पंचायतों को मजबूती प्रदान करें।

उल्लेखनीय है कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थापित पंचायती राज प्रणाली के जिन तत्वों को स्थापित किया गया है वह एक त्रिस्तरीय प्रणाली थी। 73वें संविधान संशोधन की धारा 243–घ के अनुसार प्रत्येक पंचायत प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए हैं। ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित होंगे। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित पदों में से एक तिहाई से अन्यून पद इस जाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है परंतु वह अनिवार्य ना होकर ऐच्छिक है राज्य चाहे तो वह आरक्षण व्यवस्था को लागू कर सकता हैं।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 243–घ की उपधारा चार के अनुसार पंचायतों की तीन स्तरों पर कुल अध्यक्ष पदों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तथा इनमें भी एक तिहाई पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को स्वायत्त संस्थाओं का दर्जा दिया है। आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने का जिम्मा, जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय भी शामिल है, पंचायतों को सौंपा गया। इस प्रकार महिलाएं अपने क्षेत्रों के आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाएंगी। वैसे तो महिलाएं संपूर्ण ग्राम पंचायत व जिला पंचायत स्तर की योजनाएं बनाएंगी, लेकिन अनुसूची–11 में जो 29 विषय है, उनमें स्त्री एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य स्वच्छता–अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा औषधालय, परिवार कल्याण, समाज कल्याण ऐसे विषय हैं जो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं से संबंधित है।

इस प्रकार 1994 से इस नये अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात यदि पंचायती राज व्यवस्था पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि निरंतर पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। महिलाओं के जागरूकता के प्रति चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से न केवल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र एवं असरदार भूमिका निभाने का अवसर मिला है अपितु साधारण ग्रामीण महिलाओं का भी पंचायतों के प्रति जुड़ाव बड़ा है।

महिला नेतृत्व विकास में चुनौतियां

पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था

पुरुष प्रधान सामाजिक संरचनाए एवं संस्कृति ग्रामीण भारत में पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासन में महिला सहभागिता को प्रभावित करती है। अभी भी अधिकांश परिवार अपने घर की महिलाओं को पंचायतों में कार्य करने की स्वीकृति नहीं देते हैं, वे महिला का स्थान घर में समझते हैं। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से रोका जाता है। चुनाव के समय महिला आरक्षित सीटो पर महिला केवल रबर स्टैम्प की तरह कार्य करती है, वास्तविक नेतृत्व पुरुषों के हाथ में होता है चाहे वह पति हो या पुत्र। ये लोग ही पंचायत प्रतिनिधि के रूप में महिला का सारा कार्य करते हैं। वे चुनावों में वोट मांगते हैं, प्रचार करते हैं, सारी व्यवस्था वही देखते हैं वही महिला उम्मीदवार प्रतिनिधि केवल हस्ताक्षर करती हैं। इन सभी कारणों के पीछे एक कारण परिवार में श्रम का विभाजन लिंग आधारित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं सिर्फ घरेलू कार्यों के लिए है।

1. पुरानी रुढ़ियां एवं रीति रिवाज

महिलाएं अनेक रुढियो व रीति–रिवाजों से भी ग्रस्त है। पत्नी को पति के चरणों की दासी माना जाता है। महिलाओं को पादरी, इमाम, पुजारी जैसे कार्यों के लिए सामान्यतः उपयुक्त नहीं समझा जाता है। घूंघट महिलाओं की एक अन्य बाधा है। महिलाएं घर के भीतर भी रहती हैं। अगर घर से बाहर जाते जाएंगी तो पर्दे में जाएंगी। इससे उनको अपने कार्य संपादन में अनेक कठिनाइयां होती हैं। जिस कारण शिक्षित महिलाएं भी पंचायतों में चुनकर नहीं आ पाती। पर्दा वास्तव में महिलाओं को शर्मीला व साहसहीन बना देता है। पर्दा महिलाओं की योग्यता को प्रभावित करता है।

2. ग्रामीण महिला शिक्षा का न्यून प्रतिशत

पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व के समक्ष मुख्य समस्या ग्रामीण स्तर पर महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव उनके नेतृत्व क्षमता व सशक्तिकरण में मुख्य बाधा है। वर्तमान समय में कुल महिला साक्षरता 65 प्रतिशत तथा पुरुष साक्षरता 82 प्रतिशत है। शिक्षा के अभाव के कारण ग्रामीण स्तर पर जो विकास योजनाएं क्रियान्वित की जाती है महिलाए उनका लाभ नहीं उठा पातीं हैं। अशिक्षित होना इन चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उनको पंचायत प्रतिनिधि बनाकर ऐसा लगता है कि उन्हें तलवार तो दी गई है लेकिन वे चलाना नहीं जानती हैं। महिला प्रतिनिधि तथा उम्मीदवारों को अपने कार्य के लिए घरवालों पर निर्भर रहना पड़ता है।

3. महिलाओं की गरीबी व उनका भूमि व संपत्ति से वंचित होना

भूमि व संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार की स्थिति की पड़ताल से पहले ग्रामीण गरीबी को समझना आवश्यक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या का 24 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करता है। उसमें भी अनुसूचित जाति व जनजाति की स्थिति और भी गंभीर है। इन गरीब परिवारों में गरीबी की मार ज्यादातर महिलाओं पर पड़ती है।

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी नगण्य है। ग्रामीण परिवेश में कुछ प्रतिशत महिलाएं घर की मुखिया हैं, जिनमें से अधिकांश गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही हैं। इन महिलाओं के पास भूमि जैसी कोई संपत्ति नहीं है, ना ही महिलाओं को व्यवस्थित संस्थागत ऋण उपलब्ध हो पाता है। संसाधनों के अभाव में महिलाएं पंचायतों में अपनी भूमिका नहीं निभा पाती है। गरीबी व संपत्ति का ना होना उनकी भागीदारी को कमजोर कर देता है। उनके पास चुनाव प्रचार के पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से वे पंचायतों के चुनावों में उम्मीदवार नहीं हो पाती हैं।

4. राजनीतिक अपराधीकरण, गुटबाजी व जातिवाद

राजनीति, अपराध, गुटबाजी व जातिवाद का गठबंधन सर्वविदित है। अपराधिकरण व जातिवाद की प्रवृत्ति वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीति से लेकर पंचायत स्तर तक व्याप्त होती जा रही है। यही आम प्रवृत्ति बन गई है कि, अपराध करो, नाम बनाओ व जेल के अंदर से या छूटने पर बाहर से चुनाव लड़ो। भ्रष्टाचार व विरोधी प्रत्याशीयों द्वारा वोट जीतने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल का सामना सभी प्रत्याशियों का करना पड़ता है। कुछ महिला प्रत्याशियों पर चरित्रहीनता का भी आरोप लगाया जाता है। इस प्रकार के वातावरण में महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित समझ सकती हैं। जातिवाद की कारण भी निम्न जाति की महिलाएं राजनीति में भाग नहीं ले पाती हैं। उन्हें तमाम जातिसूचक गालियों का सामना करना पड़ता है। अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि हिंसा, जातिवाद और बलात्कार के भय से मुक्त, महिलाओं की इस संस्था के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक।

5. आरक्षण व्यवस्था में कमियां

चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था कई कारणों से महिला हितों के विरुद्ध है। इसमें किसी चुनाव में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, किंतु अगले चुनाव में वे उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रहते, उन्हें बदल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पहले वाले चुनाव में निर्वाचित महिलाओं के लिए उसका क्षेत्र बदलना पड़ता है। उन्हें पिछले चुनाव में किए गए विकास कार्यों का लाभ नहीं मिलता है। उन्हें नई जगह नए कार्यक्रम की शुरुआत करनी पड़ती है। इस व्यवस्था से महिला नेतृत्व प्रभावित होता है।

महिला नेतृत्व की वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय

पंचायती राज व्यवस्था में महिला भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाने की आवश्यकता है। महिला नेतृत्व की वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक है।–

1. महिलाओं में एकजुटता होनी चाहिए। महिलाएं अपने विभिन्न हितों को छोड़कर संगठित होकर प्रयास करें।
2. महिला नेतृत्व की वृद्धि के लिए सबसे प्रमुख शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जा सकता है। शिक्षा के विस्तार द्वारा राजनीति में सक्रियता, वैधानिक निकायों में सक्रियता, समानता के अवसर पाने की इच्छा उत्पन्न होगी।
3. महिला नेतृत्व व सहभागिता बढ़ाने के लिए चुनावों में धन व बल के प्रयोग को खत्म करना होगा। चुनावों में अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार को खत्म करके एक ऐसा वातावरण का निर्माण होगा जिसमें महिलाएं सुरक्षित महसूस करें तथा ग्रामीण राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सके।
4. महिला नेतृत्व व सहभागिता बढ़ाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए। राजनीतिक दलों को अधिक से अधिक महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए।
5. जनअभियान के माध्यम से पुरानी सामाजिक रूढ़िवादिता को खत्म करना चाहिए। तथा महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
6. मीडिया ग्रामीण समाज में बदलाव के लिए उपयुक्त माध्यम हो सकता है। मीडिया द्वारा जेंडर समानता की खबरें व विश्लेषण देकर महिला सहभागिता को बढ़ा सकता है।
7. महिलाएं स्वयं इन नीतियों व योजनाओं के निर्माण में सहभागी हो जो उनके लिए बनाई जा रही है ताकि वे अपनी समस्या को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण करवाएं।

महिला नेतृत्व से राजनीति का भविष्य

महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के कारण राजनीति की प्रकृति में क्या बदलाव होने की आशा है। राजनीति हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभाव डालती है चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आदि। इसलिए यदि समाज की आधी जनसंख्या उन फैसलों में शामिल ना हो जो उनके लिए बनाई जा रही हैं तो यह उनके हित में नहीं है। महिलाओं में स्नेह, करुणा और रचनात्मकता के तत्वो की प्रबलता होती है। जिस कारण राजनीति में भ्रष्टाचार अपराधिकरण व मनमानी में कमी होगी। पुरुष व महिला के संबंधों में समानता होगी। यह तभी संभव होगा जब पुरुष वर्ग महिला अधिकारों के प्रति सजग हो।

निष्कर्ष

देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण महिला नेतृत्व विकास अति आवश्यक है इसलिए महिलाओं को मुख्यधारा में लाना सरकार की मुख्य चिंता का विषय रही है। ग्रामीण महिला नेतृत्व विकास भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का मुख्य साधन है। यह एक मौन क्रांति का घोतक है। महिलाओं को न केवल वोट देने बल्कि निर्णय– निर्माण प्रक्रिया, सक्रिय सहभागिता, सक्रिय नेतृत्व में प्रतिभाग करना चाहिए। महिलाओं एवं पुरुषों की विभिन्न जिम्मेदारियों को देखते हुए भारतीय समाज में राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र तथा घरेलू कार्य महिला का क्षेत्र माना जाता रहा है। लेकिन महिलाओं की सक्रिय सहभागिता से इस दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की सक्रिय सहभागिता प्रांत व केंद्र स्तर पर महिलाओं की सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा।

यदि ग्रामीण समाज में मौजूदा पूर्वाग्रहों पर विजय प्राप्त करना है तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा होगा। 2011 की जनगणना पर नजर डाले तो स्त्री– पुरुष लिंगानुपात एक चुनौती है। संतुलित जनसंख्या पर कार्य करना होगा। सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में पुरुषों के समान सहयोग कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. महिपाल. "पंचायतों में महिलाएंः चुनौतियां और संभावनाएं", राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, भारत, 2017.
2. महिपाल. "पंचायती राजः चुनौतियां एवं संभावनाएं", राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, भारत, 2004.
3. बंसल, बंदना. "पंचायती राज्य में महिला भागीदारी", कल्फाज पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2004.
4. अग्रवाल, प्रमोद कुमार. "भारत में पंचायती राज", ज्ञान गंगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2018.
5. सिंह, बी.एन., सिंह, जन्मेजय. "नारीवाद", रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2018.
6. शर्मा, राकेश (निशिथ). "पंचायती राज तब और अब", जाह्नवी प्रकाशन, दिल्ली, 2021.
7. वृंदा, करात. "भारतीय नारीः संघर्ष और मुक्ति", नाइस प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली, 2008.
8. धवन, हरिमोहन. "महिला सशक्तिकरणः विविध आयाम", रावत पब्लिकेशंस, आगरा, 1998.
9. शर्मा, प्रज्ञा. "महिला विकास और सशक्तिकरण", आविष्कार पब्लिशर्स एंड डिसटीब्यूटर्स,जयपुर.
10. आर्या,अशोक."भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका", जयपुर, जर्नल ऑफ एडवांसेज एंड स्कॉलइली रिसर्च इन एलीड एजुकेशन.
11. कौशिक, आशा. "नारी सशक्तिकरणः विमर्श एवं यथार्थ" आविष्कार पब्लिशिंग, जयपुर, 2004